न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77/2015 **दायरा दिनांक : 01.09.2015**

उनवान

भंवरलाल पुत्र नारायण जाति लोढा निवासी महुवाखोह तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

कंवरलाल पुत्र रामसिंह लोढा निवासी महुवाखोह तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी0 पी0 खंडेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.06.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 57/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पाडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अतंर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम महुवाखेडा तहसील अकलेरा में आराजी खतोनी संख्या नई व पुरानी खाता संख्या 7 की 5 किता की 12 बीघा 9 बिस्वा आराजी वादी के तन्हा खाते में है। प्रतिवादी ने जबरन ताकत के बल पर 2–3 साल पहले खसरा नम्बर 52 की 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी पर कब्जा कर लिया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः इस आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जाये । प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी से शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2014 को दावा वादी डिक्री किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है बिना किसी आधार के तामील मानकर दावा डिक्री किया है वादी का दावा बेरून मियाद है। पैमाईश रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपील के निर्णय की जानकारी दिनांक 07.08.2015 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है, अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट की तरफ से किसी की उपस्थिति नही आने पर एक तरफा बहस जो कि अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। विधि सम्मत रूप से तामील नही कराई गई है। नियत तिथि पर पत्रावली पेश नही की गई थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न सम्मन का अवलोकन किया । अपीलांट की तामील की गई थी और बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई । सम्मन पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो तारीख अंकित की गई है उसमें पहले 23.07.2013 अंकित किया गया है । जिसे काटकर 03.09.2013 किया गया है। 23.07.2013 और 03.09.2013 दोनो ही दिन के लिए अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली नियत नही की गई थी इस प्रकार सम्मन में जो तारीख अंकित है उस दिनांक को पत्रावली में तारीख पेशी नियत नही की गई है।

वादी की और से साक्ष्य में जो शपथ पत्र पेश किये गये है उसमें गवाहो ने न्यायालय में उपस्थित होकर इन शपथ पत्रों की ताइद नही की है। जो कि विधिक रूप से आवश्यक है।

इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। न्यायहित में हम अपीलांट को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2014 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जबबादेही का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है ि कवे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा